

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./BSP-E/2021-22/20-332 विलासपुर,दि. २९।०३।२०२२
प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य

जे.के. नेशनल स्कूल फरहदा,

वि.खं- बिल्डा

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दि. 24.02.2022।

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संरथा को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र क./1136/अनुदान/मान्यता/2019-20 विलासपुर दि 12.02.2019 में दी गई शर्तों के अनुसार एवं नोडल प्राचार्य (RTE) के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जे.के. नेशनल स्कूल फरहदा, वि.खं बिल्डा, जिला-बिलासपुर (यू.डाईस-22070309504) को नर्सरी से 12 वीं (कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं गणित संकाय) तक एवं दि. 01.01.2022 से सत्र 2024-25 हेतु (अंग्रेजी माध्यम /सी.बी.एस.ई.योर्ड) अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग.शासन रकूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ.-02-39/2019/20 -दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन दिया जाता है :-

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

- प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
- सोसायटी/विद्यालय, किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रकीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय समृद्धि प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोरंरचना होना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का भवन-प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
 - खेल का मैदान।

MANYATA AADESH

Page 1

R.K. Singh
Principal
J.K. National School
Farhada, Bilaspur (C.G.)

PRESIDENT
JAMIA EDUCATION SOCIETY
BILASPUR (C.G.)

- प्राचार्य / प्रधान पाठक एवं रटाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।
- रटाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- हित्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- वहां रस्ते अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित आध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
- वाधारहित पहुंच भार्ग, आदि
- कीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक – पृथक उपलब्धता।
- 6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्त्वाग्रह प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
- 7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संचालित जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रनाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
- 8. अपके विद्यालय को यू.डाईस - 22070309504 को पत्राचार के लिए उत्तेजित करे।
- 9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग विलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संवधानी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
- 10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
- 11. विद्यालय वंद करने या आगे संचालन नहीं करने की विधि में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.ख. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
- 12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्थारस्थ विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।

02
संयुक्त संचालक
छ.शिक्षा संभाग विलासपुर
उत्तीसगढ़

विलासपुर, दि. २९।०३।२०२२

पृ. क/अशास./गान्य.नवीनी./ BSP-E / 2021-22/20-332A

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रायती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा गंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02
संयुक्त संचालक
छ.शिक्षा संभाग विलासपुर
उत्तीसगढ़

MANYATA AADESH

Page 2

R.K. Singh
Principal
J.K. National School
Farhada, Bilaspur (C.G.)


PRESIDENT
JAMIA EDUCATION SOCIETY
BILASPUR (C.G.)